सुनीता **बनाम** सिमरपाल सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी
प्रकरण संख्या 92 सन् 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/383

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि वादी द्वारा प्रकरण संख्या 51/2023, अनवान सिमरपाल सिंह बनाम रघुवीर सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए में प्रतिवादी संख्या 3 की तामील करवाए बिना एकपक्षीय निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.09.2024 पारित करवा दी गई है। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 51/2023, अनवान सिमरपाल सिंह बनाम रघुवीर सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.09.2025 को अपास्त कर, प्रार्थिया के विरूद्व दिनांक 06.02.2024 को किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त फरमाते हुए, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया को उक्त अनवान प्रकरण के दावा का भली–भांति ज्ञान था। इसके बावजूद भी प्रार्थिया जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आई अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा प्रकरण संख्या 92/2024, अनवान सुनीता बनाम सिमरपाल सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.09.2025 में प्रतिवादी संख्या 3 सुनीता की तलवी के सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सम्मन की प्रति भाई सुखदेव सिंह को दी गई। प्रार्थिया की तलवी विधिवत होने के बावजूद भी सुनीता देवी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वादपत्र में दिनांक 04.09.2024 को अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है। प्रार्थी अपना अनुतोष सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.12.2024 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	